Title: Need to fill up backlog vacancies of posts reserved for SCs, STs and OBCs, and inclusion of 16 more castes in the list of Adivasis in various states of the country.

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य-काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार केन्द्र सरकार की नौकरियों में दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के फर्स्ट क्लास और सैकेंड क्लास ऑफिसरों की 63,705 सीटें बैकलॉग हैं। लिपिकों की 4,22,000 सीटें बैकलॉग हैं। क्लास फोर की 1,53,000 सीटें (बैकलॉग) रिक्त है। इस तरह कुल लगभग 6,40,000 सीटें (बैकलॉग) रिक्त हैं। केन्द्र सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के निर्णय के आलोक में डी.ओ.पी. एंड टी. ने 19 नवम्बर, 2008 को अपने ऑफिशियल मेमोरेंडम 36038/1/2008 में सभी आरक्षित बैकलॉग पदों को भरे जाने हेतु कार्ययोजना तैयार की थी। इसमें 31.12.2008 तक केन्द्र सरकार के विभिन्न प्राधिकरणो, मंत्रालयों एवं विभागों को रिक्तियों की सूचना देने को कहा गया था और 31.01.2009 तक सभी विभागों को विज्ञापन प्रकाशित कर 15 मार्च, 2010 तक चयन प्रक्रिया पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा गया था।

लेकिन इसे अफसरों द्वारा जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिससे अगड़े और पिछड़े का गृह युद्ध शुरू हो जाए। माननीय रेल मंत्री, सुश्री ममता बनर्जी ने भी इसके लिए एक्शन-प्लान की घोषणा की थी, जिसके तहत 30 सितम्बर, 2009 तक विज्ञापन और 15 मार्च 2010 तक भर्ती हो जानी थी।

महोदय, हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि जिन अफसरों ने इन आदेशों का उल्लंघन किया है और बैकलॉग नहीं भरने वाले दोषी अफसरों को सरकार नौकरी से बर्खास्त कर के उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि करीब 6,40,000 के बैकलॉग को सरकार शीघ्र भरे। तीसरी बात यह कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों द्वारा 16 जातियों को केन्द्र सरकार द्वारा अछूत न मानकर, उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने को मना कर, प्रकरण वापस लौटा दिया था। इसलिए उन सभी 16 जातियों को आदिवासी की श्रेणी में शामलि किया जाए, क्योंकि आज भी उन 16 जातियों का जीवनस्तर दयनीय है। भारत सरकार द्वारा 2010-11 की जनगणना जाति के आधार पर की जाए। अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उक्त विषय काफी गंभीर है, इसलिए मामले को सरकार संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए, शीघ्र पूरा करे।